

प्रपत्र VII
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)
या
समाहर्ता या समुचित सरकार
अधिघोषणा

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या :- 261

पलामू दिनांक :- 27/05/2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना बटसारा अमानत पुल हेतु ग्राम बटसारा, थाना पड़वा, थाना सं० 203, अंचल पड़वा जिला पलामू में कुल 0.65 एकड़ यानि 0.263 हे० भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.65 एकड़ यानि 0.263 हेक्टेयर है और जो ग्राम बटसारा, थाना पड़वा, थाना संख्या 203, अंचल पड़वा जिला पलामू में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-


क्र० सं०	खाता सं०	सर्वे प्लॉट सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	149	837	रैयती	टाँड	0.48	सुदर्शन सिंह पिता-केशवर सिंह, ग्राम- सिंगरा	837	N.H-75 सड़क	N.H-75 सड़क	837
2	1	841	बकास्त	टाँड	0.17	बालकेश सिंह, पिता-रामप्रताप सिंह, कमता प्रसाद सिंह, पिता-दुखन सिंह, रघुपति सिंह, पिता-चुलहन सिंह, ग्राम-कजरी	840	840	N.H-75 सड़क	840

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

ग्राम.....X..... थाना.....X..... थाना सं०.....X..... अंचल.....X.....
जिला.....X..... क्षेत्रफलX..... एकड़.....X..... यानि.....X..... हे०
जिला भूमि अर्जन पदाधिकारी पलामू के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

.....X.....
.....X.....


उपायुक्त, पलामू।